फर्द अहकाम

## अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

चन्द्रपाल बनाम भीखालाल वगै0

किस्म मुकदमा– दावा स्थायी निषे0 मु0नं0– 211/2022

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 13.05.2024 | पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र अ0धा0 आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 हेतु पेश हुई। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण का गौर किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया वादपत्र में वर्णित विचाराधीन भूमि में वादीगण स्वंय खातेदार नहीं है एवं वादपत्र में स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। तथा जब वादीगण विवादित भूमि में खातेदार ही नहीं है तो विवादित भूमि के संबंध में बिना खातेदारी के स्थायी निषेधाज्ञा अनुतोष न्यायोचित नहीं है। इसलिए यह वादपत्र न्यायालय मे चलने योग्य नहीं है। वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि वादी संख्या 1 के पिता के नाम दर्ज रही है जिनका निधन हो चुका है लेकिन वादीगण के नाम नामान्तकरण दर्ज नहीं हो सका, प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि को जबरन हडपना चाहते है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज कर वादपत्र में अग्रिम कार्यवाही की जावे। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस का मनन किया गया। प्रश्नगत भूमि वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है और न ही खातेदारी बाबत अनुतोष चाहा गया है एवं उनके द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है तो कि नियमानुसार सही नहीं है। उपरोक्त विवेचन से न्यायालय इस विनम्र मत पर है कि वादीगण का वादपत्र न्यायालय में चलने योग्य नहीं है इसलिए प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।<br>अतः प्रतिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर दावा वादीगण खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>सिकराय (दौसा) | |